# कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

झारखण्ड सरकार

Court Compound, Dumka-814101

E-mail- -dfodumka@gmail.com/dfo-dumka@gov.in ; Ph. No- 06434-236072


पत्रांक– 2189 दिनांक– 28/6/'18

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, दुमका।

विषय :– NGT कोलकाता में दायर रामलखन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के विरूद्ध OA-14/2014EZ से संबंधित दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 हे0 वन भूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राज भवन, पुलिस उप निरीक्षक आवास तथा पुलिस लाईन के लिए नियमितिकरण का प्रस्ताव।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची का पत्रांक–674 दिनांक–20.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 हे0 वन भूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राज भवन, पुलिस उप महानिरीक्षक आवास तथा पुलिस लाईन के लिए नियमितिकरण प्रस्ताव हेतु आपत्तियों का निराकरण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त

विश्वासभाजन,
28/6/'18
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

पत्रांक – 2189, दिनांक 28/6/'18 का अनु॰

# कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

झारखण्ड सरकार

Court Compound, Dumka-814101
E-mail- -dfodumka@gmail.com/dfo-dumka@gov.in ; Ph. No- 06434-236072

पत्रांक–.............................. दिनांक–..................................

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, दुमका।

विषय :– NGT कोलकाता में दायर रामलखन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के विरूद्ध OA-14/2014EZ से संबंधित दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 हे0 वन भूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राज भवन, पुलिस उप निरीक्षक आवास तथा पुलिस लाईन के लिए नियमितिकरण का प्रस्ताव।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–487 दिनांक–25.4.2018 तथा तथा इस कार्यालय का पत्रांक 2050 दिनांक 15.6.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 हे0 वन भूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राज भवन, पुलिस उप महानिरीक्षक आवास तथा पुलिस लाईन के लिए नियमितिकरण प्रस्ताव के Violation में दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी पर की गई कार्रवाई के संबंध में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार टिप्पणी निम्नवत् है:–

1 **आउटडोर स्टेडियम**– उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आउटडोर स्टेडियम के अंश–भाग का वन भूमि में अवैध निर्माण माह जुलाई, 1986 में प्रारंभ हुआ था। तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा यह सूचित करते हुए कि वनभूमि के अंश–भाग में स्टेडियम निर्माण के पक्ष में सरकार नहीं है, आदेश निर्गत किया गया कि उक्त भूमि में यथाशीघ्र वनरोपण कर पार्क के रूप में विकसित किया जाय। उपरोक्त के संदर्भ में प्रमंडलीय पत्रांक–731 दिनांक–17.3.1989 द्वारा अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु उपायुक्त, दुमका को पत्र लिखा गया है। उस पत्र में यह भी उद्धत किया गया है कि आयुक्त, संथाल परगना के बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि स्टेडियम के निर्माण पर रोक लगा दिया जाएगा। तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका ने पत्रांक–916 दिनांक– 29.5.1990 द्वारा स्टेडियम को वनभूमि से बाहर करने हेतु अनुरोध किया गया है। पुनः पत्रांक 1375 दिनांक–18.4.2002, 2450 दिनांक–06.10.2005, 1687 दिनांक–17.7.2007, 2751 दिनांक–21.11.2007, 2325 दिनांक–03.8.2016, 2335 दिनांक–04.8.2016, 3232 दिनांक–12.11.2016, 231 दिनांक 18.01.2017, 277 दिनांक 25.01.2017, 417 दिनांक 08.02.2017, 709 दिनांक 04.3.2017 1225 दिनांक 08.4.2017, 1379 दिनांक 27.4.2017 द्वारा आउटडोर स्टेडियम के निर्माण में अतिक्रमित वन भूमि का अपयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रस्ताव समर्पित करने हेतु पत्र लिखा गया। (छायाप्रति संलग्न)

2 **राजभवन**– विदित हो कि पूर्व में उक्त भवन अंग्रेज के समय काल में निर्मित था, जिसका धारणकर्त्ता का सिर्फ रूप संपरिवर्तित किया गया है। उक्त भवन वस्तुतः जिस भूमि पर अवस्थित है वह सुरक्षित वन भूमि न होकर राजस्व अभिलेख में साखु जंगल के रूप में वर्णित है। झारखण्ड सरकार, लोक कार्य (पथ एवं भवन) तथा परिवहन विभाग, झारखण्ड, रांची की अधिसूचना सं0–254(s) तदनुसार ज्ञापांक–255(s) दिनांक–23.01.2001 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका के आवास को माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड राज्य के दुमका में अस्थायी

शिविर आवास के रूप में परिणत किया गया। (छायाप्रति संलग्न) तदोपरांत इसे राज्य भवन में परिणत किया गया। चूंकि यह भवन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के पहले बना था, अतः इसे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं समझा जाना उचित होगा। तथापि इस भवन से संबंधित भूमि को वनभूमि मानते हुए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत अपयोजन प्रस्ताव प्राप्त है।

3. **मजिस्ट्रेट कॉलनी, पुलिस उप महानिरीक्षक का आवास तथा पुलिस लाईन**– सर्वे कार्य में निपुण वन कर्मियों की कमी थी। स्थापित वनकर्मियों की कमी के कारण उक्त निर्माण को संज्ञान में देर से लिया गया होगा। विस्तृत सर्वे कार्य के उपरांत जब उक्त वन भूमि पर अतिक्रमण प्रकाश में आया, जिससे ज्ञात हुआ कि मजिस्ट्रेट कॉलोनी तथा आरक्षी उप महानिरीक्षक आवास एवं पुलिस लाईन का अंश अधिसूचित वन भूमि पर निर्मित था। चूंकि इन भवनों के निर्माण के संबंध में प्रमंडलीय कार्यालय में कोई पुष्ट अभिलेख उपलब्ध नहीं था, अतः संबंधित पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि संभवतः मजिस्ट्रेट कॉलोनी 1990 के दशक में तथा इसके कुछ बाद संभवतः DIG Residence तथा पुलिस लाईन का निर्माण हुआ। मजिस्ट्रेट कॉलोनी के संबंध में इस कार्यालय द्वारा 2005 में उपायुक्त को संबंधित पत्र में उल्लेख किया गया है, जिसमें लिखा गया कि उक्त निर्माण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन किया गया था। तदोपरांत इस कार्यालय के द्वारा वर्ष 2007 में उपायुक्त को लिखे गए पत्र में मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पुलिस उप महानिरीक्षक आवास तथा पुलिस लाईन के निर्माण का उल्लेख है, जिसमें उपायुक्त, दुमका को लिखा गया था कि उपरोक्त तीनों संरचनाएँ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत स्वीकृति हेतु जिला प्रशासन/कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण, भवन प्रमंडल, दुमका को इस कार्यालय के पत्रांक–1375 दिनांक–18.4.2002, 2450 दिनांक–06.10.2005, 1687 दिनांक–17.7.2007, 2751 दिनांक–21.11.2007, 2325 दिनांक–03.8.2016, 2335 दिनांक–04.8.2016, 3232 दिनांक– 12.11.2016, 231 दिनांक 18.01.2017, 277 दिनांक 25.01.2017, 417 दिनांक 08.02.2017, 709 दिनांक 04.3.2017 1225 दिनांक 08.4.2017, 1379 दिनांक 27.4.2017 द्वारा अतिक्रमित वनभूमि के अपयोजन हेतु प्रस्ताव समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया। तदोपरांत कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण, भवन प्रमंडल, दुमका का पत्रांक–268 दिनांक–26.02.2018 द्वारा Online वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत प्रावधान उपलब्ध है। चूंकि वन विभाग के कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा मामला स्वतः संज्ञान में आते ही कार्रवाई काफी पहले की गई एवं उक्त सभी भवनों के निर्माण की तिथि संबंधी सूचना वन प्रमंडल कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। अतः अभिलेख के अनुसार वन पदाधिकारी/कर्मचारियों के संलिप्तता की पुष्टि नहीं होती है। इस कार्यालय के पत्रांक–229 दिनांक–19.01.2018 तथा 538 दिनांक–08.02.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्माण संबंधी समय/वर्ष एवं पदाधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं वन संरक्षण के उल्लंघन संबंधी सूचना की मांग की गई है। सूचना उपलब्ध होने के पश्चात् प्रतिवेदित किया जायेगा।

अनु0–यथोक्त

विश्वासभाजन,

(signature) 28/6/18

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

C:\Users\PC\...\Desktop\DUMKA related\DIG Res. Police Line etc. Latter doc- 2

Annexure-ii

# FORM-II

*(for project other than linear projects)*

**Government of Jharkhand**

**Office of the District Collector Dumka**

## (Corrected Letter)

No. ................../ **Dated ..........................2018**

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **38.21 hactares** of forest land proposed to be diverted in fvour of Magistrate Coloney, DIG Residence, Police Line, Outdoor Stadium, SP Mahila College Hostel (name of user agency) in **Dumka** district falls within jurisdiction of Bandarjori village(s) in **Dumka** tehsils. Detail of Land noted bellow :-

| Sl. No | Date of Gram sabha | Rev. Vill | Thana No | Khata No | Plot No | Land/Area Acre/Dismil | | Total Area (in Acre/Dismil) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Notified Forest | Shakun Jungle/ Demarcated Forest | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 30.08.2017<br>25.01.2018 | Magistrate Coloney | - | 36 | 472<br>350 | 17.76 | 0<br>0 | 17.76 |
| 2 | | DIG Residence | - | 76 | 456 | 3.05 | 0 | 3.05 |
| 3 | | Police Line | - | | 350/P | 2.15 | 0 | 2.15 |
| 4 | | Outdoor Stadium | - | | 364 | 7.00 | 0 | 7.00 |
| 5 | | Rajbhawan | - | | 13,14/P, 317 | 0 | 5.17 | 5.17 |
| 6 | | Mahila College Hostel | - | | 03/P | 3.08 | 0 | 3.08 |
| Total :- | | | | | | 33.04 | 5.17 | 38.21 |

It is further certified that

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **38.21** of forest land proposed for diversion. Acopy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to... Annexure ........

(b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and

details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Bandarjori villager(s) is enclosed as annexure -01

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present,

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,

(f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl… As above

**District Collector**
**Dumka**

**Memo No……735……………………/(Wel), Dated……20-06………/2018.**
**Copy To :-**

1. Additional Collector, Dumka for information and necessary action.
2. Divisional Forest Officer, Dumka, for information and necessary action.
3. Commissioner S.P. Division , Dumka for kind information.
4. Special Secretary to Government Revnue and Land Reform Deptt. Jharkhand, Ranchi for information.
5. Tribal Welfare Commissioner, Jharkhand, Ranchi for kind information.

**District Collector**
**Dumka**

D:Nishant/Sanjay M 893

(71) (3)

आज दिनांक 25.01.18 को पंचायत बन्दरजोरी भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें बैठक की अध्यक्षता मुखिया श्री पुनू मरांडी के द्वारा की जा रही है। आज के ग्राम सभा में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि के जमीन को पट्टा के माध्यम भूमि हस्तांतरित करने के संबंध अनापत्ति पास करता है

पुनू मराण्डी
अध्यक्ष सह मुखिया
बन्दरजोरी
मुखिया
ग्राम पंचायत बन्दरजोरी
प्रखण्ड- दुमका

उपस्थित ग्रामीणों का हस्ताक्षर एवं टीप निशान

1. रमेश चालक
2. बसंती देवी
3. प्रमिला देवी
4. गणेश चालक
5. रेमा देवी
6. रोशनी मुर्मू
7. लखीराम मरांडी
8. सरजू चालक
कोलू चालक
सुशील तुरि
Akshay Kumar
राजेश कुमार
[illegible]
दीपक हेम्ब्रम
[illegible]
[illegible]

Scanned by CamScanner

(1) (288)

उपस्थित किस्कु

श्याम चालक

जितेन्द्र पाण्डेय

मुकुल कुमार
(सुरेश कुमार) प० ६

प्रेम प० दास

शालेन्द्र राय

मनोज कु० राय

अर्जुन रजवार

संतोष हरि

भावना दास

दिलीप सोरेन

पुष्पा सोरेन

समोल चालक

आकाश चालक।

ओम चालक

मंगल

अविरेन्द्र सोरेन

रतन म० दास

हड़मा बास्की

Pawan Sing

विमल

सहदेव चालक

विष्णु हरि

तिथि दिन तारीख 25-01-2018 से आज बंद्रजोरी थाना न० 12 के वनाधिकार समिति के आज बंद्रजोरी रैयत आम कुइया श्री पुन मराडी बाबा स्व. लक्ष्मी राम मराडी बाद आध्यक्षता से कुछ कुइया के दो बाद कहा। लोगा कुछ कुइया हस्तान्तर ... हेतु पुकार ... आर दिया मिला चयन से सेवाद।

नोआ कुलही दुड़प रेयाक् सोमबोंध रे कुकम जोतो सेरेर आकान होड़ ताला रे होयेना। जे बंदरजोरी आतो रे वन भूमि सारवा बीर रे लाहा, रवोन बेनाव आकान सरकारी ओड़ाक् गातेक टंडी ठमान तियाक् जायगा। बोहो सेते इराक जातं ठमीक रेयाक् काना। ओना रयेतं कुल्ही दुड़प से ग्राम सभा रे जारवा आकान होड़ को दो को राखी गया।

उना बाद कुल्ही दुड़प से ग्राम सभा रे जोतो होड़ राजी कुसी ते को गोटा के दा जे ग्राम वन अधिकार समिति बनाव जारइ काना जे मोन लाहा रेयाक् कामी होय दाडेयाक्।

बंदरजोड़ी आतो रे वनअधिकार समिति गोठोन हुयइना आर नोआ समिति रेन सदस्य को रेयाक् चयन जोतो होड़ राजी कुसी ते हुयएना। नोआ समिति रेन सदस्य वाक् नुतुम आर दोसरखोत दो लातार रे मेनाक्।

ग्राम सभा के बैठक में उद्देश्य के संबंध में चर्चा किया गया कि मौजा बंदरजोरी में अवस्थित वन भूमि सारवा जंगल में पूर्व से निर्मित सरकारी भवन स्वेस्थ केंद्र इत्यादि बना हुआ है। उक्त वन भूमि के जमीन का उपयोग किया जाना है। इसके लिए ग्राम सभा द्वारा विचार-विमर्श करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम वन अधिकार समिति का विधिवत् गठन किया जाय ताकि आगे का कार्यवाही किया जा सके।

मौजा बंदरजोरी में ग्राम वनाधिकार समिति का का गठन एवं सदस्यगण का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया जो निम्न प्रकार है: —

Scanned by CamScanner

(68)

| क्रमांक | नाम | पदनाम |
| --- | --- | --- |
| 1 | आशय कुमार | अध्यक्ष |
| 2 | वरसा किस्कू | सदस्य |
| 3 | रोशनी मुर्मू | " |
| 4 | विशाल हरि | " |
| 5. | अर्जुन रजवार | " |
| 6. | सीता मरांडी | " |
| 7. | रेखा सोरेन | " |
| 8 | मुन्सिया मुर्मू | " |
| 9 | सोनामुनी हेम्ब्रम | " |
| 10. | टीका सोरेन | " |
| 11. | बाबूलाल मरांडी | " |
| 12. | रामेश्वर किस्कू | " |
| 13. | अक्षय कुमार | " |
| 14. | राजेश मंडल | " |
| 15. | गौतम चालक | " |

मौजा बंदरजोरी में वनभूमि पर अवस्थित सरकारी भवन / खेल मैदान का विवरणी निम्न प्रकार है -

बंदरजोड़ी आटो से वन भूमि से बनाव आवास सरकार मातेम टांडी सामार से जोल आवास।

मुखिया
ग्राम पंचायत बंदरजोरी
जिला दुमका

| क्र० | अंचल का नाम | परिसम्पत्ति विवरणी | मौजा का नाम | खाता सं. | खेसरा सं. | अधियाचित प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल | उपयुक्त आवेदन के अनुसार रकबा | अभि. क्रम सं० | | स्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले आवश्यकता | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कुमका | मजिस्ट्रेट कॉलोनी | वनपहाड़ी | 76 | 472 | 10.40 | 7.41 | 1/1718 | | 3.06 2.85 | कम किया गया रकबा |
| | | | | | 350 | 7.50 | 1.72 | " | | 5.78 | |
| 2 | कुमका | पुलिस उप मंडल निरीक्षक का आवास | वनपहाड़ी जोड़ी | 76 | 456 | 3.05 | 2.02 | 2/1718 | | 1.03 | |
| 3. | कुमका | पुलिस लाईन | " | 76 | 350 P | 2.15 | 0.81 | 3/1718 | | 1.34 | |
| 4. | कुमका | आउटडोर स्टेडियम | " | 76 | 364 | 7.00 | 2.99 | 4/1718 | | 4.01 | |
| 5. | कुमका | रामनगर | " | 76 | 13, 14 P 317 | 4.96 | 5.17 | 5/1718 | | — | 0.21A अधिक रकबा |
| 6 | कुमका | महिला महाविद्यालय सह छात्रावास | " | 76 | 3/1 | 3.08 | 3.08 | 6/1718 | | — | |
| | | | | | | 38.21 | 23.20 | | | 15.01 | |

उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये सरकारी भवनों खेल स्टेडियम मैदान के जमीन को वन भूमि का उक्त वन भूमि का उपयोग लोकोपकारी कार्य किया जाना है। इसलिए ग्राम सभा ग्राम वन अधिकार समिति के द्वारा पारित किया गया है, कि हमलोगों को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है।

चेतान रे डोंगा अवान

हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

(66)

सिरकारी ओड़ाक् आर गाड़ेक् दांगी रे ञाक् जायगा ओका दो वन भूमि रेयाक् काना। ओना वन भूमि रे दो होड़ाक् जिम्मा लागित ते सरकारी ओड़ाक् । गाड़े दांगी बेनाव आकाना। ओनाते कुलही दुड़ुप से ग्राम सभा आर आबो वन अधिकार समिति दो नोआ प्रस्ताव लागित ते राजी मेनाया बाकू आपत्ति बानुक् तालेया।

आज की सभा अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के बाद समाप्त की गई।

तेहेञ आक् कुलही दुड़ुप दो अध्यक्ष आक् सारधाव जोहार सेलेद ते मुचेत् इना।

[illegible]
अध्यक्ष
ग्राम सभा बंदरजोरी
दुमका
मुखिया
ग्राम पंचायत बदरजोरी
जिला दुमका

अक्षय कुमार
अध्यक्ष,
ग्राम वनाधिकार सीमीत
बंदरजोरी दुमका

Scanned by CamScanner